


पुस 142/2024 देवामराम/अमरसिंह

2/12/24

उपरोक्त साधु व निवेदन पर  
पत्रावली के अंतर्गत वकील वकील  
वकील व निवेदन किया की हम  
पक्षधारी वा मापस में शहीनामा  
हो गया है इसलिये प्रार्थना प्र  
वही चलाना चाहते खारिज फाव  
साधु स्वयं के द्वारा प्रायश्चित्त  
वही चलाने के कारण खारिज  
किया जाता है पत्रावली नरिप  
दफ्तर 

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



20/12  
नोहर